कनाडा में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) के दौरान *'संसदीय और इतर संदर्भ में व्यक्तियों की सुरक्षा' विषय के संदर्भ में "(एक) साइबर सुरक्षा के उभरते हुए मुद्दे तथा इनका संसदीय विशेषाधिकारों पर प्रभाव; (दो) एक प्रभावी साधन न कि एक हथियार के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग (तीन) व्यक्तियों की सुरक्षा सहित सोशल मीडिया की सुगम उपलब्धता को सुनिश्चित* करना" के उप-विषयों के बारे में प्रारूप भाषण

6-10 जनवरी 2020

कनाडा

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे *"संसदीय और इतर संदर्भ में व्यक्तियों की सुरक्षा"* जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रतिष्ठित सभा में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में इंटरनेट और विविध सोशल नेटवर्किंग टूल्स के आने के बाद से संसद का लोगों से जुडने का तौर-तरीका ही बदल गया है।

भारत में भी साइबर स्पेस गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारत न केवल दुनिया के प्रमुख आईटी केन्द्रों में से एक बन गया है, बल्कि आज दुनिया में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों के मामले में यह तीसरा सबसे बड़ा देश है।

हमारे देश में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या में वर्ष 2012 से 2017 के बीच 44 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से हुई वार्षिक वृद्धि के साथ छह गुना वृद्धि हुई है।

एक ओर जहां सूचना और कनेक्टिविटी की उपलब्धता में ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि से नागरिक सशक्त हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसके साथ जुड़े साइबर अपराधों से निपटने की आवश्यकता के कारण नई चुनौतियां भी उठ खड़ी हुई हैं।

विशेष रूप से पिछले दो दशकों में इंटरनेट का विकास संसदों के लिए भी एक वरदान रहा है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी से संसदों को अधिक जटिल गतिविधियां विकसित करने, उन्हें आधुनिक बनाने और इनके प्रबंधन में सहायता मिली हैं जिससे सदस्य विधायी प्रक्रिया पर लगातार नज़र रख पा रहे हैं।

भारत की संसद में भी हम अब काफी लंबे समय से विधायी दस्तावेजों के प्रबंधन में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं।

हमारे पास संसद की एक सुव्यवस्थित वेबसाइट है और इस पर अब तक की सभी कार्यवाहियां, विधेयक, दस्तावेज, भाषण, वाद-विवाद, चर्चा इत्यादि सहज रूप से देखे जा सकते हैं।

डिजिटल साधनों से वास्तव में लोगों की संसद के दस्तावेजों और गतिविधियों तक पहुंच बढ़ी है और इस प्रक्रिया में तंत्रों की जवाबदेही और पारदर्शिता में भी सुधार आया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचना और संचार तकनीक से हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव आए हैं और उनसे हमें नए अवसर मिले हैं, जिससे कि हम कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।

ई-संसदों और ई-विधान-मंडलों के विकास ने जन प्रतिनिधियों के रूप में हमारे दायित्वों को पूरा करने का तरीका ही बदल दिया है। हम अपनी संसद को अधिक कुशल बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने तथा जन प्रतिनिधियों को और अधिक प्रतिनिधित्व का अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं।

सांसद ई-पोर्टल नामक ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संदर्भों के साथ ही सभा में विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग किए जाने की सूचनाएँ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में भेजे जाने सहित सदस्यों को अनेक प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया की पहुंच का विस्तार क्षेत्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर हुआ है और इसने दुनिया भर में सांसदों और लोगों को जोड़ा है।

सोशल मीडिया सुशासन को बढ़ावा देने और सत्ता पक्ष द्वारा सत्ता के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार को उजागर करने में मदद कर सकता है। तत्काल पहुंच की इसकी विशेषता को देखते हुए यह सभी संबंधित लोगों के साथ जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

जैसे-जैसे सोशल मीडिया से संबंधित वेबसाइट और एप्लिकेशन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है।

लेकिन इसके साथ ही, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का केंद्र अर्थात साइबर स्पेस में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं का जोखिम बना रहता है और उसका दुरूपयोग किया जा सकता है।

समाज के लिए सोशल मीडिया के कुछ प्रत्यक्ष नुकसान भी हैं जैसे साइबर बुलिंग; हैकिंग; एडिक्शन; धोखाधड़ी और घोटाला; सुरक्षा संबंधी मुद्दे; दुरूपयोग की संभावना जिससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे; स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे; इत्यादि। इसलिए समय की मांग है कि एक विवेकपूर्ण साइबर सुरक्षा नीति तैयार की जाए।

वास्तव में, 21वीं शताब्दी की सबसे गंभीरतम चुनौती संभवत: सूचना को सुरक्षित रखना हो सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में कई मौजूदा और संभावित खतरे हैं जिनसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुँच सकता है।

नई सूचना तकनीकों में भी हैकरों और असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की संभावना बनी रहती है।

अपनी पहचान छिपा सकने और क्षेत्र की सीमा न होने के कारण विश्व भर में साइबर सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है क्योंकि अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा इसका इस्तेमाल पहचान चोरी करने, जानकारी अथवा डाटा चोरी करने और मैलिशियस सॉफ्टवेयर डालने के लिए किया जा रहा है।

इसका प्रभाव उन सभी संसदीय विशेषाधिकारों पर भी पड़ सकता है जो सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए उपलब्ध होते हैं। क्लाउड और मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास से साइबर खतरा और अधिक बढ़ गया है।

इसके अलावा साइबर स्पेस में साझा किए जाने वाले डाटा के संबंध में अन्य खतरे भी हैं। राष्ट्र, राज्यों और गैर-सरकारी हितधारकों द्वारा इन सूचनाओं का गलत प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत में हमारी अपनी सुसंगत साइबर सुरक्षा नीति है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के अनुरूप है। वास्तव में, हम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए नई एन्क्रिप्शन और निजता (privacy) की नीतियाँ लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ***www.cybercrime.gov.in*** भी शुरू किया है।

दरअसल, साइबर अपराधों का सामना करने के लिए सभी क्षेत्रों की प्रतिक्रिया लेने के साथ ही सभी संबंधितों के सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस प्रकार, पूरी दुनिया के देशों को उपयुक्त कार्य-नीतियां तैयार करने के लिए अपेक्षित जागरूकता, समझ और क्षमता विकसित करने के प्रयास बढ़ाने होंगे।

साथियों, आज इस संदर्भ में एक-दो और प्रमुख बातें रखना चाहता हूँ। इस महत्वपूर्ण विषय में सोशल मीडिया एजेंसीज की भी जवाबदेही होनी चाहिए। इन एजेंसीज पर संबंधित देश के नियम-कानून को मानने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रमुख मुद्दा है कि दुनिया भर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध की सहमति बने।

मित्रो, मुझे विश्वास है कि हमारे आज के विचार-विमर्श से हमें संसदीय और इतर संदर्भ में व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा के उभरते हुए मुद्दों; सोशल मीडिया का एक प्रभावी साधन न कि एक हथियार के रूप में उपयोग; तथा व्यक्तियों की सुरक्षा सहित सोशल मीडिया की सुगम उपलब्धता को सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी।